न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1401–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 21–5–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर, प्रकरण कमांक 86/2013–14/अपील

1–मुकुट सिंह पुत्र प्रीतम सिंह यादव
निवासी सगारखेडा तहसील आरोन जिला गुना
2–मोहन सिंह उर्फ बालमोहन पुत्र प्रीतम सिंह यादव
निवासी जंघार सिंह तहसील ईशागढ जिला गुना
3–दर्शन सिंह पुत्र प्रीतम सिंह
निवासी जंघार सिंह तहसील ईशागढ जिला गुना
4–मेहरवान सिंह पुत्र ईसरी सिंह
निवासी रामगिरकलॉ तहसील आरोन जिला गुना

.....आवेदकगण

विरूद्ध

बुगलीबाई पत्नी ईसरी सिंह (मृत वारिसान :–)
निवासी सगावरखेडा तहसील आरोन जिला गुना
1–हरतूम सिंह पुत्र ईसरीसिंह
निवासी सगावरखेडा तहसील आरोन जिला गुना
2–यशपाल सिंह पुत्र महाराज सिंह
निवासी सगावरखेडा तहसील आरोन जिला गुना
3–सतेन्द्र पुत्र महाराज सिंह
निवासी सगावरखेडा तहसील आरोन जिला गुना
4–बिन्नीबाई पत्नी महाराजसिंह
निवासी सगावरखेडा तहसील आरोन जिला गुना
5–उर्मिला पत्नी दौलतसिंह
निवासी बूडाडोंगर तहसील आरोन जिला गुना
6–बीनाबाई पत्नी कृपाण सिंह
निवासी महुआखेडा तहसील अशोकनगर जिला गुना
7–फूलबाई पत्नी शिवनंदन सिंह
निवासी सींगन तहसील ईसागढ ज़िला गुना
8–सुलोचबाई पत्नी गजेन्द्र सिंह
निवासी मानपुर तहसील गुना जिला गुना
9–रमेशबाई पत्नी मुन्ना
निवासी मडवासा तहसील बदरवास जिला गुना
10–मुन्नीबाई पत्नी नेपालसिंह
निवासी गरगोली तहसील ईसागढ जिला गुना

.....अनावेदकगण

श्री एस0पी0धाकड, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री जी0पी0नायक, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8/9/16 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–5–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम सगावरखेडा तहसील आरोन स्थित भूमि सर्वे नम्बर 15 रकबा 1.150 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 31 रकबा 0.648 हेक्टेयर कुल रकबा 1.798 हेक्टेयर में से 1/6 भाग रकबा 0.299 हेक्टेयर पर तथा ग्राम रायपुरा तहसील आरोन स्थित भूमि सर्वे कमांक 43 रकबा 1.108 हेक्टेयर, सर्वे कमांक 12/3 रकबा 1.672 हेक्टेयर एवं 14 रकबा 1.442 हेक्टेयर कुल रकबा 4.222 हेक्टेयर की सम्पूर्ण भूमि पर वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र तहसील आरोन जिला गुना के समक्ष प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 99/अ–6/2010–11 दर्ज कर दिनांक 18–11–2011 को वसीयतनामा के आधार पर अनावेदक कमांक 1 का नामान्तरण स्वीकृत किया गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 17–12–2013 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश दिनांक 18–11–2011 निरस्त किया गया एवं मृतक भूमिस्वामी ईसरीसिंह के स्थान पर उसके वारिसान के नाम समान रूप से नामान्तरण किया जाने के आदेश दिये गये । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 21–572015 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि स्वअर्जित संपत्ति है जिसकी वसीयत करने का अधिकार ईसरीसिंह को

था और तहसील न्यायालय में विधिवत् वसीयतनामा प्रमाणित हुआ है । इस आधार पर कहा गया कि तहसील न्यायालय के विधिसंगत आदेश को निरस्त करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा त्रुटि की गई है और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को स्थिर रखने में अपर आयुक्त द्वारा अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि यदि प्रश्नाधीन भूमि में अनावेदकगण का हित निहित था, तब उन्हें नामान्तरण प्रकरण में अपत्ति प्रस्तुत करना चाहिये थी अथवा प्रश्नाधीन भूमि पर अपना नामान्तरण कराने हेतु कार्यवाही करना चाहिये थी, जो कि नहीं की गई है । इससे स्पष्ट है कि प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदकगण का हित नहीं है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि मृतक भूमिस्वामी को बटवारे में मिली है, इसलिये वह पैतृक संपत्ति है, स्वअर्जित नहीं है । यह भी कहा गया कि पत्नी, चार पुत्रियॉ व चार पुत्र के होते हुये अन्य के पक्ष में मृतक भूमिस्वामी द्वारा वसीयतनामा निष्पादित करना संदिग्ध है । तर्क में यह भी कहा गया कि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत जन्म से ही प्रश्नाधीन भूमि में जन्म लेने वाले को अधिकार प्राप्त हो जाता है, इसलिये भी वसीयत नहीं की जा सकती है । यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि वसीयतनामा नोटराईज्ड है और उसमें फर्जी अँगूठा लगाया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया है कि तहसील न्यायालय द्वारा न तो हितबद्ध व्यक्तियों को पक्षकार बनाया गया है और न ही उन्हें सूचना दी गई है, इसलिये तहसील न्यायालय द्वारा आदेश निरस्त करने में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त के समक्ष आवेदकगण द्वारा मृतक भूमिस्वामी के अनावेदकगण विधिक वारिसान होने के तथ्य के आधार पर उनके समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है । अनावेदकगण मृतक भूमिस्वामी के विधिक वारिसान नहीं होकर आवेदकगण के पक्ष में मृतक भूमिस्वामी द्वारा वसीयतनामा निष्पादित किया गया है । इस संबंध में अपर आयुक्त द्वारा कोई जॉच नहीं किया गया है कि वास्तव में मृतक भूमिस्वामी के विधिक वारिसान कौन है, ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण इस

निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि अपर आयुक्त उभयपक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का पर्याप्त अवसर देते हुये मृतक भूमिस्वामी के वारिसान के संबंध में स्पष्ट निर्धारण करते हुये गुणदोष पर आदेश पारित करें ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–5–2015 निरस्त किया जाता है । प्रकरण उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु अपर आयुक्त को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर